

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 / 248

दिनांक :- 12.8.21

मुकदमा नंबर 183/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नवलकिशोर पुत्र गोनाराम		1. रामाराम पुत्र मगाराम जाट नि० भिमरलाई
2. भवेन्द्र कुमार पुत्र गोनाराम		2. प्रभुराम पुत्र लुम्बाराम जाति जाट नि० खट्टु
3. पुरो देवी पत्नी गोनाराम		3. भोमाराम पुत्र ईसराराम
4. जेठीदेवी पत्नी रहिंगाराम		4. उगराराम पुत्र ईसराराम
5. देराजराम पुत्र देवाराम		5. हुकमाराम पुत्र ईसराराम
6. रहिंगाराम पुत्र देवाराम		6. लेलीदेवी पत्नी ईसराराम समी जाति जाट निवासी भीमरलाई
7. हनुमानराम पुत्र वगताराम		7. केहनाराम पुत्र वहनाराम
8. चेतनराम पुत्र वगताराम		8. मुकनाराम पुत्र विमाराम
9. भंवराराम पुत्र वगताराम		9. जालाराम पुत्र विमाराम
10. रावताराम पुत्र गोमदराम समी जाति जाट निवासी खट्टु तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		10. भोमाराम पुत्र दलाराम
		11. घमाराम पुत्र दलाराम
		12. गोखनराम पुत्र सालुराम
		13. मुलाराम पुत्र अचलाराम
		14. हुकमाराम पुत्र अचलाराम
		15. मानाराम पुत्र अचलाराम
		16. मिरगोदेवी पत्नी अचलाराम समी जाति जाट निवासी खट्टु
		17. चणसिंह पुत्र पदमसिंह
		18. जबरसिंह पुत्र पदमसिंह
		19. रूपसिंह पुत्र पदमसिंह
		20. लखसिंह पुत्र रूघसिंह समी जाति राजपूत निवासी खट्टु
		21. वीरोदेवी पत्नी देराजराम
		22. नेनुदेवी पत्नी सोनाराम
		23. मालाराम पुत्र सोनाराम
		24. नारायणराम पुत्र सोनाराम जाति जाट नि० खट्टु
		25. भंवरकवंर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत निवासी खट्टु
		26. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा



आदेश

दिनांक :- 12.08.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा खट्टू पटवार क्षेत्र खट्टू तहसील पचपदरा में मूल खसरा 780/464 क्षेत्रफल 9.0700 व 775/464 क्षेत्रफल 16.1300 व 779/464 क्षेत्रफल 18.1200 व 776/464 क्षेत्रफल 13.1200 व 777/464 क्षेत्रफल 11.000 बीघा व 778/464 क्षेत्रफल 12.000 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा

Das
उप सहायक अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

री निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे
कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा कि
या जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोमी)
उपखण्ड अधिकारी अधिकारी
बालोतरा (S.D.O) बालोतरा
दिनांक :- 12.8.21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 249-253

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना ~~बालोतरा~~ ^{पचपदरा} को पालना हेतू
3. पटवारी क्षेत्र खटटू तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रिकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण नवलकिशोर पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी खटटू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
5. विप्रार्थीगण रामाराम पुत्र मगाराम जाट वगै० निवासी भिमरलाई, तहसील पचपदरा ।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) बालोतरा

